क्रम संख्या–214 (ग)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 16 नवम्बर, 2011 ई०
कार्तिक 25, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

संख्या 485/11–XIX–2/12 खाद्य/2008
देहरादून, 16 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

प० आ०–135

राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68, वर्ष 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय में पूर्व में जारी समस्त विषयों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात:

उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2011 है।

(2) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नियमावली में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68, वर्ष 1986) अभिप्रेत है;

(ख) **'अभिकर्ता (एजेन्ट)'** से किसी पक्ष (पार्टी) द्वारा उसकी ओर से, यथास्थिति, राज्य आयोग या जिला फोरम के सम्मुख कोई शिकायत अपील या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रुप से प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) **'अपीलार्थी'** से ऐसा पक्ष अभिप्रेत है जो जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील करता है;

(घ) **'ज्ञापन'** से अपीलार्थी द्वारा दायर अपील का ज्ञापन अभिप्रेत है;

(ङ) **'विरोधी पक्षकार'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शिकायत या दावे का उत्तर देता है;

(च) **'अध्यक्ष'** से **यथास्थिति** राज्य आयोग या जिला फोरम का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) **'प्रतिवादी'** से अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण का उत्तर देने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **'राज्य'** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(झ) **'राज्य आयोग'** से अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद जिनका इस नियमावली में प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते और निर्बन्धन और शर्तें: धारा 10(3)

3. (1) (क) जिला फोरम का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है तो रूपये 400/– (रूपये चार सौ मात्र) प्रति बैठक मानदेय प्राप्त करेगा।

(ख) जिला फोरम का सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 10,176/– (रूपये दस हजार एक सौ छियत्तर मात्र)प्रति माह मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 300/–(रूपये तीन सौ मात्र) प्रति बैठक मानदेय प्राप्त करेगा।

(ग) जिला फोरम का अध्यक्ष प्रति माह रूपये 2,400/–(रूपये दो हजार चार सौ मात्र) मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा यदि वह पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये और कोई सरकारी आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई हो।

(घ) जिला फोरम का सदस्य रूपये 1,800/-(रूपये एक हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा यदि कोई सरकारी आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई हो।

(ङ.) जिला फोरम का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 1,830/- (रूपये एक हजार आठ सौ तीस मात्र) प्रति माह वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।

(च) जिला फोरम का सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 1,830/- (रूपये एक हजार आठ सौ तीस) प्रति माह वाहन भत्ता और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 50/-(रूपये पचास मात्र) प्रति बैठक वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।

(छ) जिला फोरम के अध्यक्ष व सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये गये हों, ऐसी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य है।

(2) जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्य सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य हैं।

(3) वेतन, भत्ते और अन्य भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि से भुगतान किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति के पूर्व, जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों को यह परिवचन करना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(5) धारा 12 (2) के उपबन्धों के अतिरिक्त राज्य सरकार जिला फोरम अध्यक्ष तथा सदस्य को पद से हटा सकती है, जैसे–

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत हुआ है, या

(ख) जो अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है जो कि राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गत है, या

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक, मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(घ) जो ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सदस्य के रूप में उनके कार्य संचालन में प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, या

(ङ.) जिसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि पद पर बने रहने पर जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या

(च) जो अधिनियम के अधीन,और पूर्व दृष्टान्त और कार्य के साथ अनुरूपता में उर्पयुक्त निर्णय और आदेश नहीं पारित करते, और पूर्ण सत्यनिष्ठा, सद्व्यवहार तथा कर्तव्यपरायणता प्रदर्शित नहीं करता है, या

(छ) जो बिना अनुमति के सात दिनों से ज्यादा स्पष्ट अनुपस्थिति का दोषी है।

परन्तु यह कि अध्यक्ष या सदस्य को इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जायेंगे सिवाय राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रकिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, की गई जाँच के द्वारा जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोषी पाया जाये।

(6) जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा में निर्बन्धन और शर्तों को उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(7) जहां जिला फोरम के अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति होती है, वहॉ तत्समय पद धारण करने वाला जिला फोरम का ज्येष्ठतम (नियुक्ति क्रम में) सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष फिर से अपने कृत्यों को संभाल न ले।

परन्तु जहाँ जिला फोरम के अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति होती है और ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार नहीं होंगे।

(8) अध्यक्ष या कोई सदस्य, इस रूप में पद पर न रह जाने पर, किसी ऐसे संगठन के प्रबंध या प्रशासन में या उसमें सम्बद्ध, जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस दिनांक से जब वह ऐसे पद पर नही रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।

जिला फोरम से सम्बन्धी बैठक का स्थान और अन्य विषयः धारा 14(3)

4. (1) जिला फोरम का कार्यालय जिले के मुख्यालय पर अवस्थित होगा। जहॉ राज्य सरकार ऐसा एक जिला फोरम जिसकी जिले में एक से अधिक अधिकारिता हो, स्थापित करने का विनिश्चय करती है, वहॉ वह इस प्रकार स्थापित जिला फोरम के स्थान और अधिकारिता को अधिसूचित करेगी।

(2) जिला फोरम का कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होगा जो राज्य सरकार का हैं।

(3) जिला फोरम की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्यं सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(4) जिला फोरम की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगीं

(5) जिला फोरम का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।

(6) राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो जिला फोरम के दिन प्रतिदिन के कार्य में सहायता करने और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो जो इस नियमावली में उपबंधित किये गये हों। ऐसे कर्मचारियों को देय वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से संदत्त किये जायेगे।

(7) जहां विरोधी पक्षकार परिवादी द्वारा किये गये अभिकथन को स्वीकार करता है, वहॉ जिला फोरम मामले के गुणदोष और उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर परिवाद का विनिश्चय करेगा।

(8) यदि धारा 13 के अधीन संचालित कार्यवाहियों के दौरान जिला फोरम पक्षकरों की सुनवाई के लिये कोई दिनांक निशचित करता है, तो परिवादी और विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को जिला फोरम के समक्ष सुनवाई के ऐसे दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की जाये, उपस्थित होना बाध्यकर होगा। जहॉ परिवादी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहॉ जिला फोरम स्वविवेकानुसार या तो परिवाद को व्यतिकम के लिए खारिज कर सकता है या गुणावगुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकता है। जहां विरोधी पक्षकार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सुनवाई के दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहॉ जिला फोरम परिवाद का विनिश्चय एकपक्षीय कर सकता है।

(9) उपनियम (8) के अधीन कार्यवाही के दौरान, जिला फोरम ऐसे निर्बन्धनों पर जैसा वह उचित समझे और किसी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकता है, किन्तु साधारणतया एक से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा और परिवाद का विनिश्चय विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर, यदि परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा न हो, किया जायेगा। जहॉं परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता हो वहां परिवाद का विनिश्चय 150 दिन के भीतर किया जायेगा।

(10) जिला फोरम के आदेश पर जिला फोरम के सदस्यों द्वारा, जिससे पीठ का गठन हुआ है, हस्ताक्षर किया जायेगा और दिनांक डाला जायेगा और उसकी संसूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जायेगी।

वस्तुओं के विश्लेषण और परीक्षण के लिए जिला फोरम के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः धारा 13(1)(ग)

5. (1) धारा 13(1) (ग) के अधीन, यदि आवश्यक समझा जाये तो जिला फोरम स्वच्छ संधारकों में जिन पर समुचित रूप से स्टापर लगा हो, एक से अधिक वस्तुओं के नमूने की व्यवस्था करने के लिए परिवादी को निर्देश दे सकता है।

(2) ऐसी वस्तुओं के नमूने प्राप्त होने पर, जिला फोरम उसे मुहरबन्द करेगा और संधारकों पर लेबल लगायेगा जिस पर निम्नलिखित सूचना होगी–

(क) समुचित प्रयोगशाला का, जिसको नमूना विश्लेषण के लिए भेजा जायेगा, नाम और पता

(ख) जिला फोरम का नाम और पता

(ग) मामला संख्याः

(घ) जिला फोरम की मुद्रा

(3) नमूना जिला फोरम द्वारा 45 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ायी गई अवधि के भीतर जो जिला फोरम द्वारा अभिकथित त्रुटि का प्रकार और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिनांक विनिर्दिष्ट करने के पश्चात स्वीकृत की जाये, रिपोर्ट भेजने के लिए समुचित प्रयोगशाला को भेजा जायेगा।

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते और निर्बन्धन और शर्तें: धारा 16(2)

6. (1) (क) राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो बैठक के लिए प्रतिदिन रूपये 500/–(रूपये पांच सौ मात्र) का संचित मानदेय प्राप्त करेगा। राज्य आयोग के सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त हैं, तो प्रतिमास रूपये 15,262/– (रूपये पन्द्रह हजार दो सौ बासठ मात्र) का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं तो प्रति बैठक के लिए रूपये 400/– (रूपये चार सौ मात्र) का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

(ख) राज्य आयोग का अध्यक्ष किराया मुक्त सरकारी आवासीय सुविधा का हकदार होगा। यदि राज्य आयोग के अध्यक्ष को ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, तो वह आवासीय किराया भत्ता उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के समान प्राप्त करेगा।

(ग) राज्य आयोग का अध्यक्ष शासकीय वाहन का हकदार होगा तथा उनको उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश के रूप में प्राप्त वाहन के अनुसार डीजल/पैट्रोल अनुमन्य होगा। वह उन सभी सुविधा व भत्तों को प्राप्त करने का भी हकदार होगा जो उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश को अनुमन्य हैं।

(घ) राज्य आयोग के सदस्यगण रूपये 2,500/-(रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह वाहन भत्ता प्राप्त करेंगे।

(ड.) राज्य आयोग के सदस्य किराया मुक्त सरकारी आवासीय सुविधा के हकदार होंगे। यदि राज्य आयोग के सदस्यों को ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध होती है तो वह प्रतिमाह रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) आवासीय भत्ता प्राप्त करेंगे।

(च) राज्य आयोग का सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य है।

(2) राज्य आयोग का अध्यक्ष सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमन्य हों।

(3) राज्य आयोग के सदस्य सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य हों।

(4) वेतन, मानदेय एवं अन्य भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किये जायेंगे।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पॉच वर्ष की अवधि या 67 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और पुनः नाम निर्देशन के पात्र होंगे।

परन्तु अध्यक्ष और सदस्य–

(क) किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं।

(ख) उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार अपने पद से हटाये जा सकते ।

(6) राज्य सरकार राज्य आयोग के ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकती है–

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत हुआ है; या

(ख) जो अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है जो कि राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गत है; या

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सदस्य के रूप में उनके कार्य संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ड.) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

परन्तु यह कि अध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (6) के खण्ड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जायेगा सिवाय राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रकिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, की गई जाँच के द्वारा और जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोंषी पाया जायें।

(7) नियुक्ति के पूर्व, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को यह परिवचन करना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे सदस्य के रूप में उसका कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(8) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों का उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(9) उपधारा (5) के अधीन या अन्यथा राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण हुई प्रत्येक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।

(10) जहां राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर कोई ऐसी रिक्ति होती है या वह तत्समय पद निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राज्य आयोग का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष फिर से अपने कृत्यों को संभाल न लेः

परन्तु यह कि जहां राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्ति है और राज्य आयोग के ज्येश्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति उसे कोई वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(11) अध्यक्ष या कोई सदस्य, इस रूप में पद पर न रह जाने पर, किसी संगठन के प्रबंध या प्रशासन में या उससे सम्बद्ध जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस दिनांक से जब तक वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्श की अवधि के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।

राज्य आयोग के बैठक का स्थान और उससे सम्बन्धित अन्य विशय धारा 18 के साथ पठितः धारा 14(3)

7. (1) राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में अवस्थित होगा।

(2) राज्य आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वहीं होगा जैसा राज्य सरकार का है।

(3) राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(4) राज्य आयोग की बैठक, जब कभी आवष्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी।

(5) राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति है या उनके गठन में कोई दोष है।

(6) राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेगी जो राज्य आयोग को उसके कार्य में सहायता करने और ऐसे अन्य कृत्यों को निर्वहन करने के लिए आवष्यक हो जो इस नियमावली में उपबन्धित किये गये हों या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे गये हो। ऐसे कर्मचारियों का देय वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किये जायेंगे।

(7) जहाँ विरोधी पक्षकार परिवादी द्वारा किये गये अभिकथन को स्वीकार करता है, वहाँ राज्य आयोग मामले के गुणदोष के और उसके समेक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर परिवाद का विनिश्चय करेगी।

(8) यदि धारा 13 के अधीन संचालित कार्यवाही के दौरान राज्य आयोग पक्षकारों की सुनवाई के लिए कोई दिनांक निष्चित करता है, तो प्रतिवादी और विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को राज्य आयोग के समक्ष सुनवाई के ऐसे दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की जाये, उपस्थित होना बाध्यकर होगा। जहाँ परिवादी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता राज्य आयोग के समक्ष ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहाँ राज्य आयोग स्वविवेकानुसार या तो परिवाद को व्यतिकम के लिए खारिज कर सकता है अथवा गुणावगुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकता हैं। जहाँ विरोधी पक्षकार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सुनवाई के दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहाँ राज्य आयोग परिवाद का विनिश्चय एकपक्षीय कर सकता है।

(9) उपनियम (8) के अधीन कार्यवाही के दौरान राज्य आयोग ऐसे निर्बन्धनों पर जैसा वह उचित समझे और किसी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकता है, किन्तु साधारणतया एक से अधिक

स्थगन नहीं दिया जायेगा और परिवाद का विनिश्चय पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर, यदि परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा न हो और 150 दिन के भीतर यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा हो, किया जायेगा।

(10) राज्य आयोग के आदेश पर राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा, जिनसे पीठ का गठन हुआ है, हस्ताक्षर किया जायेगा और दिनांक डाला जायेगा और उसकी सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जायेगी।

अपील की सुनवाई के लिए प्रक्रियाः धारा 15

8. (1) ज्ञापन अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से राज्य आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा या आयोग के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत ज्ञापन सुपाठ्य हस्तलेख में, अधिमानतः टंकित, होगा और बिना किसी तर्क या वृतान्त के अपील के आधार स्पश्ट शीर्षकों के अधीन संक्षिप्त रूप से दिये जायेंगे और ऐसे आधार क्रम से संख्यांकित किये जायेगे।

(3) प्रत्येक ज्ञापन के साथ जिला फोरम के आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, अभिप्रमाणित प्रति और दस्तावेज (उपभोक्ता परिवाद, जवाबदावा, एवं साक्ष्य) जो ज्ञापन में उल्लिखित आपत्ति के आधार का समर्थन करने के लिए अपेक्षित हो, होंगे।

(4) जब अपील अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की जाये, तब ज्ञापन के साथ एक आवेदन होगा जो ऐसे शपथ–पत्र द्वारा समर्थित होगा जिसमें ऐसे तथ्य दिये जायेंगे जिनके आधार पर अपीलार्थी राज्य आयोग का यह समाधान करने के लिए निर्भर हो कि उसके पास परिसीमा काल के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है।

(5) अपीलार्थी ज्ञापन की तीन प्रतियां आयोग के लिए तथा विपक्षीगण के लिए अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक ज्ञापन के साथ पक्षकारों को नोटिस आदि जारी करने हेतु जो डाक टिकट अपेक्षित हो, होंगे।

(7) सुनवाई के दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जब तक के लिए सुनवाई स्थगित की जाये, पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकर होगा। यदि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है तो राज्य आयोग, स्वविवेकानुसार या तो अपील को

खारिज कर सकता है या मामले के गुणावगुण के आधार पर उसे विनश्चित कर सकता है। यदि प्रत्यर्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है तो राज्य आयोग एकपक्षीय कार्यवाही करेगा और मामले के गुणावगुण के आधार पर अपील का एकपक्षीय विनिश्चय करेगा।

(8) अपीलार्थी राज्य आयोग की अनुमति के सिवाय ज्ञापन में दी गई आपत्तियों के किसी आधार के समर्थन में न तो किसी बात पर जोर देगा और न हि उसकी सुनवाई की जायेगी, किन्तु राज्य आयोग अपील का विनिश्चय करते समय ज्ञापन में दी गई या इस नियम के अधीन राज्य आयोग की अनुमति से प्राप्त आपत्ति के आधारों तक सीमित नहीं रहेगा।

परन्तु यह कि राज्य आयोग अपना विनिश्चय किन्हीं अन्य आधारों पर तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक कि राज्य आयोग उससे प्रभावित हो सकने वाले पक्षकार को सुनवाई का कम से कम एक अवसर नहीं दे देता है।

(9) राज्य आयोग ऐसे निर्बन्धनों पर जैसा कि उचित समझे और किसी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकता है किन्तु साधारणतया एक से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा और अपील का विनिश्चय सुनवाई के प्रथम दिनांक से 90 दिन भीतर किया जाना चाहिए।

(10) अपील पर राज्य आयोग के आदेश पर राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा, जिनसे पीठ का गठन हुआ है, हस्ताक्षर किया जायेगा और संसूचना पक्षकरों को निःशुल्क दी जायेगी।

9. (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष जिला फोरम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को स्वयं ही जाँच कर सकता है या राज्य आयोग के सदस्य को या निबंधक को उसके लिए नामांकित कर सकता है।

(2) जिला फोरम के सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच राज्य आयोग के अध्यक्ष या राज्य अयोग के सदस्य या राज्य आयोग के निबंधक द्वारा या जिला फोरम का पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया गया है, के द्वारा की जायेगी।

(3) राज्य आयोग के सदस्य के विरूद्ध प्राप्त षिकायत पर जाँच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार–विमर्श से राज्य सरकार द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय के किसी आसीन जज द्वारा संचालित की जायेगी।

(4) जिला फोरम के अंशकालिक अध्यक्ष, जो कि जिला जज या अतिरिक्त जिला जज के रूप में आसीन है, के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति पर उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचार–विमर्श से किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त या आसीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा धारित की जायेगी।

(6) उपनियम (1), (2), (3) या (4) के अधीन, जाँच के आधार पर, यदि अधिकारी दोशी पाया जाता है, तब राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति के बाद या राज्य आयोग के अध्यक्ष के मामले में जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट तथा संस्तुतियों की उचित परीक्षा तथा राय कायम करने के बाद राज्य सरकार दोषी अधिकारी को नियम 3 के उपनियम (5) या नियम 6 के उपनियम (6) के अधीन, यथास्थिति, हटाने का आदेश निर्गत कर सकती है।

नियम (9) के अधीन जाँच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसारित की जायेगी।

10. (1) शिकायत प्राप्त होने के बाद शिकायत की एक प्रतिलिपि पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत् रूप से शिकायतकर्ता को भेजी जायेगी तथा उस शिकायतकर्ता को शिकायत शपथपत्र पर पेश करने या शिकायत में समाहित अभिकथन के सम्बन्ध में साक्ष्य उपबन्ध करने के लिए निदेश दिया जायेगा।

(2) शपथपत्र या कथन को प्रस्तुत करने पर, यदि कोई हो, प्रभावी बनाने के लिए कि साक्ष्य को शिकायतकर्ता द्वारा दिया जायेगा या सदस्य, जिसके विरूद्ध शिकायत में अभिकथन है, को शिकायत की प्रतिलिपि दी जायेगी तथा इसका उत्तर या स्पष्टीकरण अपचारी द्वारा 15 दिन के भीतर देना होगा।

(3) अनुज्ञात समय के अधीन अपचारी अध्यक्ष या सदस्य द्वारा उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर, राज्य आयोग का अध्यक्ष समुचित विनिश्चय करेगा कि जाँच आगे चलाई जाय या अभिलेखों को परेषण करे। यदि किसी मामले में राज्य आयोग का अध्यक्ष जिला फोरम के अपचारी अध्यक्ष या सदस्य या राज्य आयोग के सदस्य, यथास्थिति के विरूद्ध जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निश्चय करता है, तो अपचारी सदस्य या अध्यक्ष का निलम्बन राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति पर किया जा सकता है। राज्य सरकार उस पर समुचित कार्यवाही करेगी। अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, जिसके विरूद्ध कार्यवाही चल रही है के निलम्बन पर, केवल 50 प्रतिशत मानदेय/वेतन अदा किया जायेगा।

(4) जाँच करने का विनिश्चय करते समय, राज्य आयोग का अध्यक्ष स्वयं ही जाँच कर सकता है या राज्य आयोग के सदस्य या निबंधक को नामांकित कर सकता है।

(5) अध्यक्ष या जाँच अधिकारी, यथास्थिति, अपचारी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विनिश्चय करते समय, आरोप पत्र राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित होकर तद्नुसार विरचित किया जायेगा।

(6) दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतिलिपियां और गवाहों की सूची उनके कथन भी, यदि कोई हो, के साथ आरोप–पत्र अपचारी अध्यक्ष या सदस्य को आफिस अभिलेख में उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी या व्यक्तिगत् रूप से तामील की जायेगी। यदि आरोप–पत्र कथित तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है, तब आरोप–पत्र स्थानीय अखबार में प्रकाशित किया जायेगा। अखबार में प्रकाशित करने पर, तामील पर्याप्त मानी जायेगी तथा आगे की कार्यवाही दो सप्ताह या ऐसे प्रकाशन के बाद की जायेगी।

(7) अपचारी अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, से लिखित उत्तर, यदि कोई हो, आरोपों की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर जमा किया जायेगा। यह जाँच की जायेगी कि वह किसी गवाह से जिरह का इच्छुक है तथा प्रतिरक्षा में क्या साक्ष्य दाखिल करने का इरादा रखता है। उसे यह संकेत भी दिया जायेगा कि यदि अनुबद्ध अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना पेश नहीं की जाती है तो यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास कोई उपलब्ध सामग्री नहीं है तथा तद्नुसार जाँच एकपक्षीय की जायेगी।

(8) जहाँ अपचारी अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, उपस्थित होता है तथा किये गये अभिकथनों को स्वीकार करता है, राज्य आयोग का अध्यक्ष या जाँच अधिकारी किये गये अभिकथनों के आधार पर रिपोर्ट पेश करेगा।

(9) जहाँ अपचारी अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, अभिकथनों और उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करता है, तो राज्य आयोग का अध्यक्ष या जाँच अधिकारी अपचारी अध्यक्ष या सदस्य की उपस्थिति में प्रस्तावित साक्ष्यों के कथनों की रिकार्ड कर कार्यवाही करेगा। गवाहों को जिरह करने का अवसर दिया जायेगा और प्रक्रिया का पूरा रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा।

(10) उन प्रक्रियाओं में अपचारी अधिकारी को सत्य का पता लगाने के लिए किसी अभिलेख को पेश करने के लिए कहा जा सकता है या

बुलाया जा सकता है।

(11) सम्पूर्ण जाँच प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर, यदि जाँच किसी अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही है न कि राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा, तो जाँच की रिपोर्ट राज्य आयोग के अध्यक्ष के समक्ष पेश की जायेगी। जाँच अधिकारी की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई संस्तुति/टिप्पणी नहीं करेगा।

(12) सम्पूर्ण जाँच प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर, राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जायेगा कि अभिकथन साबित हुये है या नहीं। यदि अभिकथन नहीं साबित हुये हैं तो राज्य आयोग का अध्यक्ष अपचारी अधिकारी व सरकार को सूचित कर सकता है कि अभिकथन साबित नहीं हुये हैं। अपचारी अधिकारी सरकार द्वारा बहाल किया जायेगा यदि वह निलम्बन के अधीन था और निलम्बन की अवधि के लिये पूरा वेतन/मानदेय अदा किया जायेगा।

(13) राज्य आयोग के अध्यक्ष के विनिश्चय करने पर कि अभिकथन साबित हो गये है, अपचारी अधिकारी को सूचना से 15 दिन के भीतर प्रतिनिधित्व पेश करने की स्वतन्त्रता होगी।

(14) राज्य आयोग का अध्यक्ष 30 दिनों के भीतर विनिश्चय सम्प्रेषित करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रतिनिधित्व तथा दूसरे सम्बन्धित दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, कारणों को लिखित में रिकार्ड करने के लिए 30 दिनों के लिए दूसरी अवधि बढ़ायी जायेगी।

(15) यदि राज्य आयोग का अध्यक्ष यह महसूस करता है कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अभिकथन साबित हो गये हैं, तो अध्यक्ष दो सप्ताह के भीतर अपचारी अधिकारी को हटाने या पदच्युक्त करने के लिए राज्य सरकार से संस्तुति करेगा। राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष से संस्तुति प्राप्त होने पर, तदनुसार उसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर उचित आदेश निर्गत करेगा।

आज्ञा से,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 485/11-XIX-2/12 Food/2008, Dehradun, dated November 16, 2011 for general information :

No. 485/11-XIX-2/12 Food/2008
Dated Dehradun, November 16, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers under Sub-section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act (Act No. 68 of 1986) and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following Rules, namely-

THE UTTARAKHAND CONSUMER PROTECTION RULE, 2011

Short title and commencement

1. **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Consumer Protection Rules, 2011.

(2) These shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

Definitions

2. (1) In these rules, unless there in anything repugnant in the subjects or context-

(a) **'Act'** means the Consumer Protection Act, 1986 (Act No. 68 of 1986);

(b) **'Agent'** means a person duly authorised by a party to present any complaint or appeal or reply on its behalf before the State Commission or the District Forum;

(c) **'Appellant'** means party which makes an appeal against the order of the District Forum;

(d) **'Memorandum'** means a memorandum of appeal filed by the appellant;

(e) **'Opposite Party'** means a person who answers complaint or claim;

(f) **'President'** means the President of the State Commission or the District Forum, as the case may be;

(g) **'Respondent'** means the person who answers any memorandum of appeal/revision;

(h) **'State'** means the State of Uttarakhand.

(i) **'State Commission'** means State Consumer Disputes Redressal Commission established under clause (b) of Section 9 of the Act.

(2) Words and phrases which have been used in these Rules but have not been defined and which have been defined in the Act, shall have the same respective meaning as given in the Act.

Salaries and other allowances and terms and condition of the President and Member of the District Forum: Section 10(3)

3. (1) (a) The President of the District Forum shall receive the salary of the District Judge of a District Court if appointed on whole time basis or an honorarium of Rs: 400/- (Four hundred only) per day if appointed on part time basis.

(b) The Member of the District Forum shall receive an honorarium of Rs. 10,176/- (Rupees ten thousand one hundred seventy six only) per month if appointed on whole time basis or Rs. 300(Rupees three hundred only) per day if appointed on part time basis.

(c) The President of the District Forum shall get House Rent Allowance of Rs. 2,400/- (Rupees two thousand four hundred only) per month if appointed on whole time basis and no Government Accommodation is provided to him.

(d) The Member of the District Forum shall get House Rent Allowance of Rs. 1,800/- (Rupees one thousand eight hundred only) per month if no Government accommodation is provided to him.

(e) The President of the District Forum shall get Transport Allowance of Rs. 1,830/- (Rupees one thousand eight hundred thirty only) per month if appointed on whole time basis.

(f) The Member of the District Forum shall get Transport Allowance of Rs. 1,830/- (Rupees one thousand eight hundred thirty only) per month if appointed on whole time basis and Rs. 50/- (Rupees fifty only) per day if appointed on part time basis.

(g) The President and the Members of the District Forum, if appointed on full time basis, shall be entitled for such medical facilities as are available to a Grade-I officer of the State Government.

(2) The President and the Members of the District Forum shall be entitled for such travelling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to a Grade-I officer of the State Government.

(3) The salary, honorarium and other allowances shall be defrayed out of the consolidated fund of the State Government.

(4) Before appointment, the President and Members of the District Forum shall have to take an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interests as are likely to affect prejudicially his function as a member.

(5) In addition to provision of Section 10(2), the State Government may remove from the office of the President and Member of District Forum who-

(a) has been adjudged an insolvent, or

(b) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involved moral turpitude, or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member, or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a member, or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest, or

(f) does not pass judgment or order possible under the Act, and in conformity with the earlier judgment and the act and does not display absolute integrity, good conduct and dutifulness, or

(g) is guilty of unexplained absence for more than 7 days without permission.

Provided that the President or Member shall not be removed from his office on the ground specified in Clause (d) and (e) of this sub-rule except on an inquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and the Member is found to be guilty of such ground.

(6) The terms and conditions of the service of the President and the Members of the District Forum shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(7) Where any vacancy occurs in the office of the President of the District Forum, the senior most (in order of appointment) Member of the District Forum holding office for the time

being shall discharge the function of the President until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the District Forum.

Provided that where a vacancy occurs in the office of the President of the District Forum and the senior most Member discharges the function of the President then in such a case he shall not have any financial or administrative powers.

(8) The President or any Member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organization which have been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

Place of sitting and other matters relating to District Forum: Section 14(3)

4. (1) The office of the District Forum shall be located at the headquarter of the District. Where the State Government decides to establish a single District Forum having jurisdiction over more than one district it shall notify the place and jurisdiction of the District Forum so established.

(2) The working days and the office hours of the District forum shall be same as that of the Statement Government.

(3) The official seal and emblem of the District Forum shall be such as the State Government may specify.

(4) Sitting of the District Forum, as and when necessary, shall be convened by the President.

(5) No act or proceeding of the District Forum shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy among its Members or any defect in its constitution.

(6) The State Government shall appoint such staff, as may be necessary, to assist the District Forum in its day-to-day work and perform such other functions as are provided under these rules. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the consolidated fund of the State Government.

(7) Where the opposite party admits the allegations made by the complainant, the District Forum shall decide the complaint on the basis of the merit of the case and the document present before it.

(8) If during the proceedings conducted under Section 13, District Forum fixes a date for hearing of the parties, it shall be obligatory on the complainant and the opposite party or its authorised agent to appear before the District Forum on such date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned. Where the complainant or his authorised agent fails to appear before the District Forum on such date, the District Forum may in its discretion either dismiss the complaint for default or decide it on merit. Where the opposite party or its authorised agent fails to appear on the date of hearing, the District Forum may decide the complaint ex-parte.

(9) While proceeding under sub-rule (8), the District Forum may, on such terms as it may think fit and at any stage, adjourn the hearing of the complaint but not more than one adjournment shall ordinarily be given and the complaint should be decided within 90 days from the date of notice received by the opposite party if the complaint does not require analysis or testing of the goods and 150 days if it requires analysis or testing of the goods.

(10) Orders of the District Forum shall be signed and dated by the Members of the District Forum constituting the Bench and shall be communicated to the parties free of cost.

Procedure to be adopted by the District Forum for analysis and testing of the goods: Section 13(1)(c)

5. (1) Under Section 13(1)(c), if considered necessary, the District Forum may direct the complainant to provide more than one sample of the goods in clean containers with stoppers properly fixed on them.

(2) On receiving the samples of such goods, the District Forum shall seal them and fix labels on the containers carrying the following information-

(a) Name and address of the appropriate laboratory to whom samples will be sent for analysis and test;

(b) Name and address of the District Forum;

(c) Case number;

(d) Seal of the District Forum.

(3) The sample will be sent to the appropriate laboratory by the District Forum for sending report within 45 days or within such extended time as may be granted by the District Forum, after specifying the nature of the defect alleged and date of submission of report.

Salary and other allowances and terms and condition of the President and Members of the State Commission: Section 16(2)

6. (1) (a) The President of the State Commission shall receive the salary, allowances and other perquisites of the Judge of the High Court if appointed on whole time basis, or a consolidated honorarium of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only) per day for the sitting if appointed on part time basis. The Member of the State Commission, if appointed on whole time basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 15,262/- (Rupees fifteen thousand two hundred sixty two only) per month and if appointed on part time basis, a consolidated honorarium of Rs. 400/- (Rupees four hundred only) per day for the sitting.

(b) The President of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation. If no such accommodation is provided to the President of the State Commission, he shall get house rent allowance as is payable to a Judge of the High Court.

(c) The President of the State Commission shall be entitled for Government vehicle and the diesel/petrol for such vehicle will be the same as is admissible to a Judge of the High Court. He will also be entitled for all those perquisites and allowances which are admissible to a Judge of the High Court.

(d) The Members of the State Commission shall get transport allowance of Rs. 2,500/- (Rupees two thousand five hundred only) per month.

(e) The Members of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation. If no such accommodation is provided to the Member of the State Commission, he shall get house rent allowance of Rs. 3,000/- (Rupees Three Thousand Only) per month.

(f) The Members of the State Commission, if appointed on full time basis, shall be entitled for such medical facilities as are available to a Grade-I officer of the State Government.

(2) The President of the State Commission shall be eligible for such traveling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to a Judge of the High Court.

(3) The Members of the State Commission shall be eligible for such traveling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to Grade-I officer of the State Government.

(4) The salary, honorarium and other allowances shall be defrayed out of the consolidated fund of the State Government.

(5) The President and the Members of the State Commission shall hold the office for a term of 5 years or upto a age of 67 years, whichever is earlier and shall be eligible for renomination.

Provided that the President and Members may –

(a) by writing under his hand and addressed to the State Government, resign his office any time.

(b) be removed from his office in accordance with the provision of sub-rule (6).

(6) The State Government may remove from office, the President or a Member of the State Commission, who-

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest;

Provided that the President or a Member shall not be removed from his office on the ground specified in Clauses (d) and (e), of sub-rule (6) except on an enquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and find the Member to be guilty on such ground.

(7) Before appointment, the President and the Member of the State Commission shall have to take an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interests as are likely to affect prejudicially his functions as such Member.

(8) The terms and condition of the service of the President and the Members of the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(9) Every vacancy caused by resignation or removal of the President or any other Member of the State Commission under sub-rule (5) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(10) Where any such vacancy occurs in the office of the President of the State Commission or the President is unable to discharge the function, the senior-most (in order of appointment) Member, holding office for the time being, shall discharge the functions of the President until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the State Commission.

Provided that where a vacancy occurs in the office of the President of the State Commission, and the senior-most Member discharges the functions of the President then in such a case he shall not have any financial or administrative powers.

(11) The President or any Member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organization which have been the subject of any proceedings under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

Place of setting and other matters relating to State Commission: Section 14(3) read with Section 18

7. (1) Office of the State Commission shall be located at the capital of the State.

(2) The working days and the office hours of the State Commission shall be the same as that of the State Government.

(3) The official seal and emblem of the State Commission shall be such as the State Government may specify.

(4) Sitting of the State Commission, as and when necessary shall be convened by the President.

(5) No act or proceeding of the State Commission shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy among the Members or any defect in its constitution thereof.

(6) The State Government shall appoint such staff, as may be necessary to assist the State Commission in its day-to-day work and perform such other functions as are provided under these rules or assigned to it by the President. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the consolidated fund of the State Government.

(7) Where the opposite party admits the allegations made by the complainant, the State Commission shall decide the complaint on the basis of the merit of the case and documents present before it.

(8) If during the proceedings conducted under Section 13, the State Commission fixes a date for hearing of the parties, it shall be obligatory on the complainant and the opposite party or his authorized agent to appear before the State Commission on such date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned. Where the complainant or his authorized agent fails to appear before the State Commission on such date, the State Commission may in its discretion either dismiss the complaint for default or decide it on merit. Where the opposite party or its authorized agent fails to appear on the date of hearing the State Commission may decide the complaint ex-parte.

(9) While proceeding under sub-rule (8) the State Commission may, on such terms as it may think fit and at any stage, adjourn the hearing of the complaint but not more than one adjournment shall ordinarily be given and the complaint should be decided within 90 days from the date of notice received by the opposite party where complaint does not require analysis or testing of the goods and within 150 days if it requires analysis or testing of the goods.

(10) Order of the State Commission shall be signed and dated by the Members of the State Commission constituting the Bench and shall be communicated to the parties free of charge.

Procedure for hearing appeal: Section 15

8. (1) Memorandum shall be presented by the appellant or his authorised agent to the State Commission in person or sent by registered post addressed to the Commission.

(2) Every memorandum filed under sub-rule (1) shall be in legible hand writing, preferably typed, and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Each memorandum shall be accompanied by the certified copy of the order of the District Forum appealed against and such of the documents as may be required to support grounds of objection mentioned in the memorandum.

(4) When the appeal is presented after the expiry of period of limitation as specified in the Act, memorandum shall be accompanied by the application supported by an affidavit setting forth the fact on which appellant relies to satisfy the State Commission that he has sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation.

(5) The appellant shall submit three copies of the memorandum to the State Commission and additional copies for the respondents.

(6) Every memorandum shall be accompanied by postal stamps as may be required for sending notices to the respondents.

(7) On the date of hearing and any other date to which hearing may be adjourned it shall be obligatory for the parties or their authorised agents to appear before the State Commission. If appellant or his authorised agent fails to appear on such date, the State Commission may, in its discretion, either dismiss the appeal or decide it on the merit of the case. If respondent or his authorised agent fails to appear on such date, the State Commission shall proceed ex parte and shall decide the appeal ex parte on merits of the case.

(8) The appellant shall not, except by leave of the State Commission, urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum, but the State Commission, in deciding the appeal, need not confine to the grounds of objection set forth in the memorandum or taken by leave of the State Commission under this rule.

Provided that the Commission shall not rest its decision on any other grounds unless the party who may be affected thereby, has been given at least one opportunity of being heard by the State Commission.

(9) The State Commission may, on such terms as it may think fit and at any stage, adjourn the hearing of appeal, but not more than one adjournment shall ordinarily be given and the appeal shall be decided, as far as possible, within 90 days from the first date of hearing.

(10) The order of the State Commission on appeal shall be signed and dated by the Members of the State Commission constituting the Bench and shall be communicated to the parties free of cost.

9. (1) The President of the State Commission may himself enquire the complaint received against the full time President of the District Forum or may nominate a Member of the State Commission or the Registrar thereof.

(2) Enquires on complaints received against the Members of the District Forum shall be conducted by the President of the State Commission or by a Member of the State Commission or by the Registrar of the State Commission or by the full time President of the District Forum concerned as nominated by the President of the State Commission.

(3) Enquires on complaints received against a Member of the State Commission shall be conducted by a sitting judge of High Court nominated by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of the State.

(4) Enquires on complaints received against a part time President of the District Forum, who is a sitting District Judge or an Additional District Judge shall be held by the High Court on the recommendation of the President of the State Commission.

(5) Enquires on complaint received against the President of the State Commission shall be held by a sitting or retired Chief Justice of any High Court in consultation with the Chief Justice of the High Court of the State.

(6) On the basis of enquiries under sub-rule (1), (2), (3) or (4), if the officer is found guilty, then after recommendation of the President of the State Commission, or in the case of the President of the State Commission, after examination and consideration of the enquiry report and recommendations of the enquiry officer, the State Government may issue orders for removing the guilty officer under sub-rule (5) of Rule 3 or sub-rule (6) of Rule 6, as the case may be.

For enquiry under Rule 9 the following procedure shall be followed, namely:-

10. (1) After a complaint is received a copy of the complaint shall be sent to the complainant by registered post or personally and the complainant shall be directed to submit the complaint on an affidavit or provide evidence about the allegations contained in the complaint.

(2) On submission of affidavit or statement to the effect that evidence, if any, shall be furnished by the complainant, then the President or Member against whom allegations have been in the complaint, shall be provided with a copy of the complaint and its reply/explanation shall have to be furnished by the delinquent within 15 days.

(3) On submission of reply/explanation by the delinquent President or Member within the time allowed, the President of the State Commission shall take appropriate decision as to whether the inquiry is to be proceeded with or is to be consigned to records. In case the President of the State Commission decides to initiate enquiry proceedings against delinquent President or the Member of the District Forum or the Member of the State Commission, as the case may be. the suspension of the delinquent Member or the President may be recommended by the President of the State Commission. The State Government shall thereupon take appropriate action. In the event of suspension of President or Member being proceeded with, as the case may be, only 50 percent of the honorarium/salary shall be payable to him.

(4) In the event of deciding to hold the enquiry, the President of the State Commission may enquire the matter himself or may nominate a Member of the State Commission or the Registrar thereof.

(5) In the event of the President or the enquiry officer, as the case may be, deciding to proceed against the delinquent officer, charges shall be framed accordingly to be approved and signed by the President of the State Commission.

(6) The charge sheet along with the copies of the documentary evidence and list of the witnesses as well as their statements, if any, shall be sent to the delinquent President or Member by registered post on the address available in the office record or be served personally. If the charge sheet cannot be served in the said method, then the charge sheet shall be published in a local newspaper. On the publication in the newspaper, service shall be deemed sufficient and further action shall be taken after two weeks of such publication.

(7) Written reply, if any, from the delinquent President or Member, as the case may be, shall be submitted within fifteen days from the receipt of charges. It will be enquired whether he desires to cross-examine any witness and what evidence he contemplates to file in defence. It will also be indicated to him that in the event the required information is not submitted within the stipulated period, it will be presumed that he does not have any material to provide and accordingly the enquiry will proceed ex parte.

(8) Where the delinquent President or Member, as the case may be appears and accepts the allegations made, the President of the State Commission or the Enquiry Officer will submit report on the basis of allegations made.

(9) Where the delinquent President or Member, as the case may be, denies the allegations and the charges framed against him, the President of the State Commission or the Enquiry Officer will proceed to record the statement of proposed witnesses in the presence of the delinquent President or Member. Opportunity will be provided to cross-examine the witnesses and the full record of the proceedings shall be maintained.

(10) In those proceedings the delinquent officer may be asked or may be called upon to produce any document in order to find out the true facts or to prove the allegations.

(11) On completion of the entire enquiry proceedings, if the enquiry conducted by any officer other than the President of the State Commission, the report of enquiry shall be submitted before the President of the State Commission. The Enquiry Officer shall not make any recommendation/comments about the action which may be taken.

(12) On completion of the enquiry proceedings, the decision whether the allegations have been proved or not proved will be taken by the President of the State Commission. In the event of the allegations being not proved, the President of the State Commission may inform the delinquent officer and the Government that the allegations have not been proved. The delinquent officer will be reinstated by the Government if he was under suspension and would be paid full salary/honorarium for the period of suspension.

(13) In the event of the President of the State Commission, deciding that the allegations have been proved, the delinquent officer shall be at liberty to submit a representation within 15 days of the information.

(14) The President of the State Commission shall communicate his decision within 30 days if not extended for another period of 30 days for reasons to be recorded in writing, keeping in view the representation and other related documents, if any.

(15) If the President of the State Commission finds that the allegations against the delinquent officer have been proved, the President shall recommend within two weeks to State Government to remove or dismiss the delinquent officer. The State Government shall, after receiving the recommendations of the President of the State Commission, issue appropriate order accordingly within one month of the receipt thereof.

By Order,

SUBARDHAN,
Additional Secretary (IC).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 खा0ना0आ0 / 600–2011–100+50 (कम्प्यूटर / रीजियो)।